

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 876

दिनांक 08/04/2024

प्रार्थी:-

1.छुगा पुत्र इशराम
जाति मेघवाल,
निवासी सुरजनपुर(तारातरा)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.चूना 2.भगा पि.कालू जाति मेघवाल, निवासी सुरजनपुर
(तारातरा) 3.लाभूराम पुत्र देदाराम, जाति जाट, निवासी
ताजासर 4.जगदीश 5.नथाराम 6.नेमाराम 7.मांगाराम पि.
ओपाराम 8.तारीदेवी पत्नि ओपाराम 9.नकताराम
10.नारणाराम पि.आसूराम, जाति ढाडी, निवासी तारातरा
तहसील चौहटन 11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 50/2023

दिनांक : 04.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा सुरजनपुर के खेत खसरा सं. 1208/977 रकबा 04.8562 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 877 to 880

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 08/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी छुगा
3. विप्रार्थीगण चूना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन